

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9
श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल को लीज पर दी गई वन भूमि का नवीनीकरण
प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

ज्ञापित किया जाता है कि आज दिनांक 18.06.2016 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन
प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से ~~वन~~
~~भूमि~~ जलस्य विभाग की ओर से तहसीलदार, रामनगर प्रस्तावक विभाग की ओर से
श्री आनन्द सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के
क्रमशः पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.0250 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के
अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के
निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया। वर्तमान
विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपर्युक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाता है। इस
परियोजना के निर्माण से एक परिवार लाभान्वित होगा।

For Agent Representative & Planning Committee
H.O. /
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

H.O. (राजस्व विभाग, के.प्र. प्रतिनिधि)

(वन विभाग का प्रतिनिधि) प्रस्तावक

H.O. / तहसीलदार
(जिलाधिकारी) रामनगर

प्रति H.O. /
(प्रभागीय वनाधिकारी)

वन क्षेत्राधिकारी
नैनीताल जिला
(नैनीताल वन प्रभाग, रामनगर)
नैनीताल

H.O. /
(सम्बन्धित जिलाधिकारी)
रामनगर (नैनीताल)

सहायक वन अधिकारी/उप प्र० वना०
(श्री रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग रामनगर
उत्तराखण्ड।

नोट:- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव के
सहित लगाई जानी है।